अत्यन्त महत्वपूर्ण

कार्यालय–ज्ञाप

विषय : AePS की सुविधा लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

यतः बैंक के व्यवसाय सम्वर्द्धन, पैक्स सुदृणीकरण हेतु एईपीएस सुविधा प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। पैक्स पर उपलब्ध माइक्रो एटीएम का उपयोग करते हुए पैक्स सचिवों के माध्यम से ग्राहकों को एईपीएस सुविधा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था/दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं :–

1– पैक्स सचिवों को उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 द्वारा एईपीएस एप की आई0डी0 क्रियेट करते हुए उपलब्ध करायी जायेगी।

2– उक्त आई0डी0 के माध्यम से पैक्स सचिव ग्राहकों को एईपीएस सुविधा प्रदान करेंगे।

3– प्रथमतः प्रारम्भिक दौर में पैक्स सचिव को वित्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत समस्त पैक्स सचिवों के माइक्रो एटीएम टर्मिनल खाते उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लि० की मुख्य शाखा में एक पृथक जी एल करेन्ट डिपाजिट में खोले जायेंगे।

4– उक्त टर्मिनल खाते के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था हेतु प्रारम्भिक दौर में सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक/सचिव को अपने स्तर से उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक की मुख्य शाखा में खुले चालू खाते में रुपए 5000.00 की धनराशि माइक्रो टर्मिनल खाते में धनराशि स्थानान्तरित की जाएगी एवं समय–समय पर आवश्यकतानुसार उक्त खाते को डेबिट/क्रेडिट करते हुए एईपीएस सुविधा ग्राहकों को प्रदान की जायेगी। मुख्य शाखा में खुले टर्मिनल एकाउन्ट का विवरण एम–पासबुक के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।

5– पैक्स सचिव केवाईसी नार्म्स का पालन करते हुए एईपीएस ऑनबोर्डिंग फार्म (छायाप्रति संलग्न) को भरकर उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक की मुख्य शाखा में उपलब्ध करायेंगे, जिससे माइक्रो टर्मिनल खाते खोले जा सकेंगे। उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक की मुख्य शाखा खोले जा रहे माइक्रो टर्मिनल खाते में केवाईसी नार्म्स का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

6– मुख्य शाखा में माइक्रो टर्मिनल खाते खुलने के पश्चात डिजिटल सर्विस सपोर्ट सेल द्वारा उक्त एकाउन्ट का टोकेनाइजेशन करते हुए मे0 सर्वत्र के माध्यम से एईपीएस एप का आई0डी0 क्रियेशन किया जायेगा एवं सम्बन्धित पैक्स सचिव को उक्त से अवगत कराया जायेगा।

7– डिजिटल सर्विस सपोर्ट सेल द्वारा एनपीसीआई से प्राप्त पोर्टल का संचालन करते हुए एईपीएस से सम्बन्धित सेटेलमेन्ट, चार्जबैक इत्यादि कार्य किये जायेंगे।

8– ग्राहकों की शिकायत के निवारण हेतु निम्न व्यवस्था प्रस्तावित है :–

स्तर 1 :–

जिला सहकारी बैंक की शाखा स्तर– प्रथम चरण में यदि एईपीएस लेनदेन से सम्बन्धित ग्राहक को कोई समस्या हो तो वह पैक्स से सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक की शाखा से सम्पर्क कर अपनी समस्या का निवारण करायेंगे।

स्तर 2—

डिजिटल सर्विस सपोर्ट सेल, मुख्य शाखा, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक

यदि सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक की शाखा स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो ग्राहक शाखा के माध्यम से डिजिटल सर्विस सपोर्ट सेल से सम्पर्क कर अपनी समस्या का निवारण करायेंगे।

स्तर 3—

महाप्रबन्धक (बैंकिंग)/प्रभारी (आई0टी0), उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0

यदि ग्राहक की समस्या का समाधान जिला सहकारी बैंक की शाखा स्तर तथा डिजिटल सर्विस सपोर्ट सेल, मुख्य शाखा, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक स्तर पर नहीं हो पाता है तो ग्राहक महाप्रबन्धक (बैंकिंग), उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 से सम्पर्क कर अपनी समस्या का निवारण करायेंगे।

9— पैक्स सचिव एक चालू खाता एईपीएस ट्रांजेक्शन हेतु सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक में खोलेंगे।

10— पैक्स सचिव द्वारा एईपीएस हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने पर सम्बन्धित जिला सहकारी बैंकों से लिखित अनुरोध/मॉग की जायेगी। सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक उक्त मॉग का परीक्षण करते हुए तत्काल जिला सहकारी बैंक में पैक्स सचिव के उक्त खुले खाते में धनराशि अन्तरित करेंगे, जो एक बार में अधिकतम रू0 5,000.00 होगी। सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक प्रत्येक दिन कार्य समाप्ति पर जितनी भी धनराशि एईपीएस भुगतान हेतु पैक्स सचिव के खाते में ट्रांसफर करेंगे, उसकी डिमान्ड हेतु उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक की मुख्य शाखा में खुले टर्मिनल एकाउन्ट से करने हेतु लिखित तौर पर प्रस्तुत करेगा। लखनऊ मुख्य शाखा उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस पर जिला सहकारी बैंक की मॉग का परीक्षण करते हुए एईपीएस के टर्मिनल एकाउन्ट को डेबिट कर सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक के चालू खाते को क्रेडिट करेगा।

11— एईपीएस के माध्यम से ग्राहकों से प्राप्त धनराशि, जो ग्राहक के विभिन्न बैंकों में खुले खातों में जमा किये जाने हेतु प्राप्त होगी, उसे पैक्स सचिव उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस पर जिला सहकारी बैंक में खुले पैक्स सचिव के खाते में जमा करेगा तथा सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक पैक्स सचिव से अधिकार पत्र प्राप्त कर तत्काल पैक्स सचिव के उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक की लखनऊ मुख्य शाखा में खुले टर्मिनल एकाउन्ट में अन्तरित करेगा, ताकि धनराशि का प्रवाह बना रहे।

12— एईपीएस ट्रांजेक्शन से प्राप्त आय, जिसे एनपीसीआई द्वारा उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक में खुले सेटेलमेन्ट एकाउन्ट में अन्तरित किया जायेगा, अन्तरित धनराशि में से मुख्य शाखा सेटेलमेन्ट एकाउन्ट को डेबिट कर सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक के करेन्ट एकाउन्ट को, जोकि लखनऊ मुख्य शाखा में खुला है, में मासिक आधार पर ट्रान्सफर करेंगे तथा उसकी एक सूची सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक को उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक को ई—मेल अथवा अन्य माध्यमों से प्रेषित करेंगे। सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक प्राप्त सूची के अनुसार सम्बन्धित पैक्स को कमीशन अन्तरित करेंगे।

13— उक्त व्यवस्था तात्कालिक आधार पर की जा रही है जो इस सम्बन्ध में निर्गत अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

14— पैक्स सचिव के टर्मिनल खाते में पर्याप्त धनराशि न होने पर तत्काल पैक्स सचिव सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक में खुले अपने खाते से उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक की मुख्य शाखा में खुले अपने टर्मिनल एकाउन्ट में एनईएफटी अथवा अन्य माध्यमों से धनराशि प्रेषित करेगा।

15— उक्त व्यवस्था हेतु कोई भी Minimum Balance Charge नहीं कटेगा।

संलग्नक : **AePS Onboarding Form**

R 6.x.23

(आर0के0 कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0,

2—महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक: बैंकिंग / 2023—24 / AePS/325 दिनाँक 06 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. सचिव / मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे अपने बैंक से सम्बन्धित पैक्स की सूचना एवं एईपीएस ऑनबोर्डिंग फार्म (अपने स्तर से हस्ताक्षरित) भरवाते हुए उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक की मुख्य शाखा, लखनऊ की ई—मेल आई0डी0 upcblko.main@upscb.com पर उपलब्ध कराने के साथ ही हार्डकॉपी भी मुख्य शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 मेगासाफ्ट इनफारमेशन सिस्टम्स प्रा0 लि0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे डिजिटल सर्विस सपोर्ट सेल को टोकेनाईजेशन हेतु आवश्यक रिकन्सीलेशन सम्बन्धी व्यवस्था एवं प्रशिक्षण प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त विभाग प्रभारी / महाप्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
4. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान इन्दिरानगर लखनऊ।
5. समस्त शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, समस्त शाखायें, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त कार्यकारी प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, समस्त भुगतान कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
8. प्रभारी (DSSC), सर्विस शाखा प्रमुख, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्य शाखा, लखनऊ।
9. मे0 सर्वत्र टैक्नोलॉजीज प्रा0 लि0, सिद्ध आइकन, सर्वे नं0—1 / 1, तृतीय तल एवं चतुर्थ तल, बानेर रोड, बानेर, पुणे, महाराष्ट्र।
10. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।

R 6.x.23

प्रबन्ध निदेशक

Elkul3/ac/Ea

Uttar Pradesh Cooperative Bank Ltd.

AePS Onboarding Form

पैक्स संचिव के पास एक से ज्यादा समिति का चार्ज होने की दशा में मुख्य समिति, जहाँ उसकी मूल रूप से तैनाती हो, के अनुसार निम्न डाटा मांगा जाये।

DCB Name*	
PACS Name*	
PACS Registration No. * (in RCS UP)	

PACS Secretary Details				
PACS Secretary Name * (As on Aadhar)	Title(Mr/Mrs/Ms)	First Name	Middle Name	Last Name
Date of Birth *(DD/MM/YYYY)	D D M M Y Y Y Y		PAN *	
Gender*			Aadhar No. *	
Mobile No.*			Passport No.	
Father's Name/Husband's Name*			Voter ID	
Mother's Name*				
Residential Address*				
Landmark		City *		
PIN Code *		State *		
Tehsil*		Mobile No. *		
District*		State*		
Micro ATM Serial No *				
IMEI-1/IMEI-2 *				

PACS Details			
PACS Registered Address *			
Landmark		Gram/Nagar Panchayat *	
PIN Code *		Tehsil *	
City *		State	U. P.

Uttar Pradesh Cooperative Bank Ltd.

Details Of Settlement A/C for AePS Terminal	
Account Name (Existing saving A/C in DCB) *	
Account Number (Existing saving A/C in DCB) *	
Bank Name *	
IFSC Code *	
Branch Name *	
Branch Address *	
*Note: [*] are all mandatory fields, cannot left blank	

Signature Of PACS Secretary

Undertaking for authenticity of Information provided

- I hereby declare that the information provided in this onboarding form for AePS is true and accurate to the best of my knowledge. I understand my responsibilities as a AePS facilitator and agree to adhere to the bank's policies, procedures, and regulatory guidelines throughout the engagement.
- I undertake to uphold the bank's standards, maintain confidentiality, and fulfill my role as a AePS facilitator while following all stipulated guidelines.
- I hereby acknowledge and agree that I will comply with all applicable regulations, policies, and procedures of the bank. The bank reserves the right to request additional information and documentation as needed for due diligence purposes.
- I hereby give my explicit consent to Uttar Pradesh cooperative Bank Ltd. for the tokenization of my Aadhaar number and its linkage to my bank account for enabling AePS (Aadhar Based Payment Services) and other services based on Aadhaar authentication to my account number .... as per the guidelines and regulations set forth by the Reserve Bank of India (RBI) and the Unique Identification Authority of India (UIDAI).
- I hereby release and hold harmless Uttar Pradesh Cooperative Bank and its employees from any liability, claims, damages, losses, or expenses arising from or in connection with the tokenization of my Aadhaar number and its use for AePS.
  I have read and understood the terms of this consent form and agree to be bound by them.

PACS Secretary Name *		Affix Photo	
Date of Sign *			
Place *			Sign & Stamp of PACS Secretary

Signature & Seal Of Branch Incharge
DCB ____________________
(with PACS Secretary Settlement A/C)
Name :

Signature & Seal
DCB Secretary
Name:

Uttar Pradesh Cooperative Bank Ltd.

(For Office Use)

Checklist:

- Self-Attested Copy Aadhar Card ☐
- Self-Attested Copy PAN Card ☐
- Aadhar tokenization completed ☐

The Account number .... of Shri / Smt .... with Uttar Pradesh cooperative Bank Ltd, Branch .... has been opened and tokenized with Aadhaar/UID number ....

Date ....

(Bank's authorized official)